


22/02/25

पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता रोजेंडर आज उपस्थित। अधिवक्ता अपीलॉट द्वारा आज भी सम्मन तलवाना पेश नहीं किये हैं। अधिवक्ता अपीलॉट को इस हेतु अनेकवेक अवसर दिये जा चुके हैं। प्रकरण में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्रभावी है। ऐसी स्थिति में अपीलॉट द्वारा आदेश 39 नियम 3 संशोधन की अपेक्षित पालना नहीं किया जाना भी साबित है। अपीलॉट द्वारा न्यायालय निर्देश की तकमील नहीं की है।

उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 22/03/2021 व 07/04/2021 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की अपास्त करते हुए पत्रावली अदम्य तकमील में इसी स्तर पर धारिज की जाती है। पत्रावली इसी भुगतान निर्धारित होकर वाड तकमील संख्या से। हम होकर डाखिल दफतर हो।

  
राजस्व अपील अधिकारी  
पाली